हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 105

शुक्रवार, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि आज मीडिया में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समाचार छपा है :-

"शराब के ठेकों पर फिर Roll-back की तैयारी ।"

मार्च महीने में जो नई आबकारी पॉलिसी आनी चाहिए, जैसे कई वर्षों से लगातार चल रहा है, उसको लाने की अपेक्षा फिर उन्हीं पुराने लोगों को यह कारोबार दिया जा रहा है। कई लोग रोज़गार की उम्मीद में हैं कि ठेकों की नीलामी होगी तो नए लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। अचानक वह पॉलिसी Roll-back हो जाती है। चर्चा यह भी है कि इसमें लेन-देन हुआ है और प्रदेश सरकार संसाधन जुटाने में पूरी तरह असफल है। हम शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर पा रहे हैं जो प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हम सरकार से स्पष्ट घोषणा चाहते हैं कि क्या इस बार शराब के ठेकों की नीलामी होगी या फिर Roll-back कर के आप फिर से उन्हीं लोगों को ठेके एलौट कर देंगे।

इस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा :-

"He is trying to jump the gun. The Government is very clear that we want to brought in the people, even from outside the state, who can bid for the contracts. We want to follow a policy which is prevalent in states like Rajasthan, Tamil Nadu & others which has doubled the Revenue. In Himachal Pradesh, during the past years, even from your time, we are following a static policy which has given a much scope for increasing the Revenue to the state. So, wait for the policy. Don't go on hearsay. Don't go on what newspapers write. It will come in a day or two and then you have right to say."

<u>11.15 AM</u>

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2832, 2834, 2839 तथा 2843 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 2833, 2835 से 2838 तथा 2840 से 2842 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2844 से 2866 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 2832 पर विपक्ष के सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय न देने की बात पर विपक्ष ने पूर्वाह्न 11.30 बजे सदन से वॉक आऊट किया।)

माननीय मुख्य मन्त्री ने वॉक आऊट की निन्दा की।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि :-

"I have given ample time to every member of the House."

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 से 1231 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12-00 PM</u>

(अपराह्न 12.00 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में वापिस आए।)

2. **<u>कागज़ात सभा पटल पर :</u>**

(1) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने निम्न दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संवीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2013-14; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन), संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपी.सी.एच.-एच(1)1/2015 दिनांक 28.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.11.2015 को प्रकाशित।

3. **<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>**

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **128वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के 73वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **129वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **52वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.2 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम समिति** से सम्बन्धित है की एक प्रति सभा पटल में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा)जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

12-08 PM

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :

श्री सतपाल सिंह सत्ती ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"ज़िला ऊना के गोंदपुर जयचन्द में वन तस्करों को पकड़ने गए वन अधिकारियों व कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय वन मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री सतपाल सिंह सत्ती ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय वन मंत्री ने उत्तर दिया।

5. <u>नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चाः</u>

श्री वीरेन्द्र कंवर ने निम्न विषय पर चर्चा उठाईः-

> " दिनांक 2 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2693 के उत्तर से उत्पन्न विषय।"

माननीय उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री वीरेन्द्र कंवर ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उद्योग मन्त्री ने उत्तर दिया।

(सदन की बैठक अपराह्न 1.00 बजे सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)